कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या–एम०ई०–3 / 2025 /

लखनऊः दिनांक 14 जून, 2025

अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत नॉन पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट / डिमान्स्ट्रेटर / ट्यूटर के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय–सारिणी एवं महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

शासनादेश संख्या–950 / 71–2–82 / 2017 दिनांक 07 मार्च 2018 (यथासंशोधित) तथा शासनादेश संख्या–आई / 547828 / 2024 दिनांक 25 अप्रैल 2024 में निहित निर्देशों के क्रम में नीट यू०जी० 2019 बैच के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों तथा नीट यू0जी0 2018 बैच के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने अन्तिम वर्ष की परीक्षा नीट यू0जी0 2019 बैच के साथ उत्तीर्ण की है, को उनकी नीट ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर नॉन पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट / डिमान्स्ट्रेटर / ट्यूटर के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय सारिणी एवं महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	विवरण	तिथि	कुल दिवस
1.	ऑनलाईन च्वाइस फिलिंग की तिथि	दिनांक 16 जून, 2025 (अपरान्ह 2:00बजे) से दिनांक 19 जून, 2025 (अपरान्ह 2:00बजे) तक	03 दिवस
2.	सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक 20 जून, 2025	01 दिवस
3.	आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा आवंटित कालेज में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 21 जून, 2025 तथा दिनांक 23 जून 2025 से 28 जून, 2025	07 दिवस

ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

- नीट यू०जी० 2019 बैच के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों तथा तथा नीट यू0जी0 2018 बैच के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने अन्तिम वर्ष की परीक्षा नीट यू0जी0 2019 बैच के साथ उत्तीर्ण की है, को उक्त आनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना अनिवार्य है।

- **उक्त काउंसिलिंग मुख्यतः 2019 बैच के अभ्यर्थियों को सेवायोजित किये जाने हेतु आयोजित की जा रही है। अतः सीट आवंटन की प्रकिया के समय नीट यू0जी0 2019 बैच के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सीट आवंटित की जायेगी तथा उक्त आवंटन की कार्यवाही के उपरान्त अवशेष सीटों में से नीट यू0जी0 2018 बैच के अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन किया जायेगा।**

- **महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार रिक्त चिकित्साधिकारियों की सीटों के सापेक्ष इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के माध्यम से जनपद का आवंटन प्रदान किया जायेगा तथा आवंटित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सी0एच0सी0 पर तैनाती प्रदान की जायेगी। काउंसिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।**

- **प्रदेश के 06 मेडिकल कालेजों, जहाँ नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्ट के पद नियत वेतन रू0 63,000/– प्रतिमाह तथा डिमान्स्ट्रेटर/ट्यूटर के पद, जो ग्रेड वेतन 5400/– (लेवल 10) में सृजित हैं, को आनलाईन काउंसिलिंग में प्रदर्शित होने वाली सीट मैट्रिक्स में पृथक–पृथक प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए ही अभ्यर्थी ऑनलाईन काउंसिलिंग में अपनी च्वाईस भरना सुनिश्चित करें। सीट आवंटन के उपरान्त किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।**

❖ ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को वेबसाईट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर log-in करते हुए अपनी वरीयता (Priority) के अनुसार समस्त विकल्प भरना अनिवार्य है।

❖ **ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उक्त काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन पंजीकरण नहीं कराया गया है अथवा ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता है अथवा च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग के उपरान्त सम्पूर्ण विकल्प नहीं भरे जाते है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के उपरान्त अवशेष सीटों पर आवंटन प्रदान कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।**

❖ समस्त अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग के पश्चात च्वाईस लॉक नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात च्वाईस Auto Lock कर दी जायेगी।

❖ सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की नीट ऑल इंडिया रैंक, अभ्यर्थी की श्रेणी एवं उनके द्वारा काउंसिलिंग में भरे गये विकल्प के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

❖ आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

❖ आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। केन्द्रीय सेवाओं / संस्थाओं हेतु जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

❖ **अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 अथवा उसके बाद का ही मान्य होगा।**

❖ आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रदान किया जायेगा, जिनके आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र पंजीकरण प्रक्रिया के समय आनलाईन अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया में सही पाये गये है।

❖ ऐसे अभ्यर्थी जिनके, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेखों के ऑनलाईन सत्यापन की प्रक्रिया के समय सुसंगत नहीं पाये गये है अथवा निर्धारित प्रारूप पर नहीं है, को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

❖ काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक/कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध बी0एन0एस0 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

❖ सीट आवंटन के समय आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न होने की दशा में आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटों को शासनादेश संख्या–आई/547828/2024 दिनांक 25 अप्रैल 2024 में निहित व्यवस्था के अनुसार निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी:–

CONVERSION ALGORITHM

S.No..	Conversion Category	Category Converted to
1	ST	SC
2	SC	UR
3	OBC	UR
4	EWS	UR

- Merger के लिए उपलब्ध सीटों को Virtual Vacancy के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। Seat Against Conversion (S.A.C.) एक प्रकार की Virtual Seat है। च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी की रिक्त सीटों के अतिरिक्त Seat Against Conversion (S.A.C.) में अन्य आरक्षित श्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। S.A.C. में प्रदर्शित की गयी सीटें श्रेणी की समस्त रिक्त सीटों का योग है। आवंटन प्रक्रिया के समय आरक्षित श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी न मिलने की दशा में आरक्षित श्रेणी की सीटों को उपरोक्त तालिका के अनुसार आमेलित (Merge) करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- नीट यू०जी० 2019 बैच तथा नीट यू0जी0 2018 बैच के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने अन्तिम वर्ष की परीक्षा नीट यू0जी0 2019 बैच के साथ उत्तीर्ण की है, के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी अनिवार्य रोटेटरी इण्टर्नशिप उक्त समय सारिणी घोषित होने की तिथि तक पूर्ण नहीं हो पायी है, ऐसे अभ्यर्थियों का आवंटन औपबन्धिक (Provisional) माना जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत आवंटित मेडिकल कालेज/संस्थान / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अपनी योगदान आख्या उक्त इण्टर्नशिप पूर्ण होने के 07 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।
- अद्यतन सूचनाओं हेतु वेबसाइट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in तथा www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Help Line Numbers

8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699

अपर निदेशक।

संख्याः एम0ई0-3/2025/1260 तद्दिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-चार।
2. समस्त सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड।
3. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई/डा0 मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/पी0जी0आई0सी0एच0, नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/प्रधानाचार्य समस्त राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं कालेज की बेवसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक, एन0आई0सी0.योजना भवन, लखनऊ/यू0पी0एस0डी0सी0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त समय सारिणी को वेबसाईट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।

अपर निदेशक।